

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

पात्रता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,

कुलसचिव
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

(केवल विदेशी
छात्रों के लिए)
**Foreign
student should
affix
Photograph
here**

महोदय,

मैंने विश्वविद्यालय / मण्डल से

परीक्षा वर्ष 20..... में उत्तीर्ण की है, एवं इस आधार पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की की परीक्षा वर्ष में सम्मिलित होने के लिए सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ/सम्बद्ध महाविद्यालय से मैं उक्त परीक्षा में संस्थागत/असंस्थागत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)। मैंने रुपये 100/- (1000/- विदेशी छात्रों हेतु) विश्वविद्यालय के कार्यालय में पावती क्रमांक दिनांक 20..... द्वारा जमा किये हैं। मैं प्रार्थना करता/करती हूँ कि मुझे पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मेरे बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

1. आवेदक का पूर्ण नाम (पिता/पति के नाम सहित)

.....
.....

2. परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी विवरण निम्नानुसार है:

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण	अनुक्रमांक	वर्ष	कुल प्राप्तांक प्राप्तांक/पूर्णांक	अन्य विवरण
1. हाई स्कूल (10th)					
2. हायर सेकण्डरी/इंटरमिडिएट (10+2) (12th)					
3. स्नातक प्रथम वर्ष					
4. स्नातक द्वितीय वर्ष					
5. स्नातक तृतीय वर्ष					
6. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध					
7. अन्य					

उपर्युक्त सभी परीक्षाओं की मूल अंकसूची एवं उपाधि प्रमाण-पत्र/प्रवजन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न है। (मूल अंकसूची कृपया सत्यापन के पश्चात् वापिस करें)

नोट: आंशिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को संबंधित विश्वविद्यालय के समस्त सेमेस्टर/वर्ष का पाठ्यक्रम संलग्न करना अनिवार्य है।

3. अध्ययन में निरंतरता न हो तो अवधि विच्छेद काल (गेप अवधि)
हेतु छात्र का स्वयं का कथन।
.....
4. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की किस परीक्षा (विषय/विषयों सहित) में सम्मिलित होना है और किस वर्ष में
.....
5. आंशिक परीक्षा के नाम एवं समस्त विषयों के नाम
जिनके आधार पर आंशिक परीक्षा को पूर्ण करने
हेतु आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना है।
(संबंधित परीक्षा के समस्त सेमेस्टर/वर्ष पाठ्यक्रम संलग्न करना अनिवार्य है)

6. यदि आप परीक्षा में संस्थागत/नियमित (Private/Regular) छात्र के रूप में बैठना चाहते हैं तो आप किस महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं ?
बिना पात्रता प्रमाण—पत्र प्रवेश नहीं मिलेगा।
7. यदि आवेदक विदेशी छात्र हों तो निम्नांकित जानकारी भी दी जावे :
- (1) क्या आवेदक के पास स्टूडेन्ट वीजा है ? यदि हाँ तो उसका क्रमांक तथा उसकी कालावधि।
 - (2) आवेदक के भारत में आने की तिथि
 - (3) स्थानीय निवास का पता
8. क्या आवेदक को अनुचित साधन (UFM)के कारण अन्य आगामी परीक्षाओं से वंचित किया गया है।
(यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करें)।

घोषणा—पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां एवं दी गई जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए या परीक्षा से पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाए तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी, जो मुझे मान्य होगी।

विनीत,

आवेदक के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पिता/पति का नाम.....
पूरा पता.....
.....
मोबाइल नं.....

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अध्ययनशाला द्वारा अग्रेषित

उपरोक्त छात्र/छात्रा को कक्षामेंमहाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला में अस्थायी प्रवेश दिया गया है। छात्र/छात्रा का पात्रता आवेदन पत्र की अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान.....
दिनांक.....

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं सील

कार्यालयीन के उपयोग के लिए

(अ) श्री/कुमारी/श्रीमती.....नेविश्वविद्यालय/मण्डल से उत्तीर्ण की है। परीक्षार्थी को आवेदित परीक्षा.....में प्रवेश/सम्मिलित होने की पात्रता है, अतः इन्हें पात्रता प्रमाण—पत्र दिया जा सकता है।

कार्यालय सहायक
अनुविभागीय अधिकारी
प्रमाण—पत्र दिया जावे।
सहा.कुलसचिव/उपकुलसचिव (शैक्षणिक)

(ब) श्री/कुमारी/श्रीमती.....नेनिम्न विषयों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है :

- | | | | |
|---|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| चुंकि विद्यार्थी ने स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि की आंशिक परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय से उपरोक्त विषय लेकर उत्तीर्ण की है अतः अध्यादेश 7 कंडिका 6(1) के अनुसार संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन परिषद की ओर संबंधित परीक्षा की पात्रता पर अभिमत हेतू नस्ती प्रस्तुत है। | | | |

अनुविभागीय अधिकारी
सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव (शैक्षणिक)
संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन परिषद्

उपरोक्त छात्र/छात्रा कोपरीक्षा में निम्न प्रश्नपत्रों के साथ पात्र/अपात्र होने की अनुशंसा की जाती है।

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 3. | 5. |
|----|----|----|

- | | | |
|----|----|----|
| 2. | 4. | 6. |
|----|----|----|

पात्रता नहीं होने की स्थिति में कृपया टीप दें।

दिनांक

सकुस (शैक्षणिक)

हस्ताक्षर
संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन परिषद्

उपरोक्त अनुशंसा कुलपतिजी/कुलसचिवजी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
उपकुलसचिव (शैक्षणिक)
कुलसचिव

ज्ञातव्य

- टीप:** 1. जिन विद्यार्थियों ने $10 + 2$ की परीक्षा /इन्टरमीडिएट/पत्राचार पाठ्यक्रम/व्यवसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल से अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, नई दिल्ली/विश्वविद्यालय द्वारा मान्य सूची अंतर्गत हायर सेकण्डरी बोर्ड की या पूर्ण रूप से अन्य कोई स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा म.प्र. के किसी भी विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें पात्रता-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
2. ऐसे विद्यार्थियों के लिये जिन्होंने म.प्र. के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की कोई परीक्षा आंशिक रूप से उत्तीर्ण की हो, अथवा प्रदेश के बाहर के विश्वविद्यालय से कोई अर्हतादायक परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। म.प्र. के बाहर से आये हुए विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित पात्रता प्रमाण-पत्र शुल्क 100/- जमा कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि 30 सितम्बर के पश्चात् विलम्ब शुल्क रूपये 500/- जमा कराना होगा।
3. प्रदेश के बाहर से आये हुए विद्यार्थियों को महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेने के पूर्व पात्रता प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य है। बिना पात्रता प्रमाण-पत्र के प्रवेश/परीक्षा मान्य नहीं होगी।
4. जमा की गई राशि की वापसी अथवा समायोजन की कार्यवाही उसके जमा करने के दिनांक से 3 माह के भीतर ही की जावे अन्यथा यह रकम वित्तीय एवं लेखा विनिमय के पैरा 21 (ए) के तहत वापसी योग्य नहीं होगी।
5. म.प्र. के किसी विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर की आंशिक परीक्षा एकीकृत पाठ्यक्रम (unified course) के आधार पर उत्तीर्ण होने व छात्रों को पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।
6. आवेदन पत्र के साथ लगने वानी अंक सूची/प्रमाण पत्र व अन्य विवरणों की प्रमाणित फोटो प्रति के साथ मूल पत्रक जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिना मूल प्रतियों के आवेदन पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा। जांच के उपरान्त मूल प्रतियां वापसी योग्य हैं।
7. पात्रता होने पर प्रमाण-पत्र, आवेदन करने के 7 दिनों के बाद ही प्रदान किया जाएगा। विशेष प्रकरणों में जिसमें संकायाध्यक्ष/अध्यक्ष अध्ययन पर्षद की राय ली जाना जरूरी हो तो, आवेदन के 15 दिनों बाद ही पात्रता प्रमाण-पत्र पात्रता होने पर देय होगा।
8. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय अध्ययनशाला द्वारा ही छात्र/छात्रा का पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही राशि जमा की मूल प्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. अधूरे/अपूर्ण आवेदन-पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
10. कुलपतिजी की आज्ञा से शुल्क दर एवं अन्य शर्तों में यथा समय, यथापरिस्थिति व आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन किया जायगा जो बन्धनकारी होकर लागू होगा।